6/6/2025

पत्रावली में अधिवक्ता वादी श्री देवपाल व्यास वादी श्री रामचन्द्र की ओर से उपस्थित है। वकील वादी द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलबी की जाकर आज ही सुनवाई किये जाने बाबत पेश किया। वकील वादी को उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब बाबत सुना गया। वकील वादी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है जिसका कारण वादी पत्रावली विड्रो करना चाहता है। अतः पत्रावली आज ही तलब की जाकर सुनवाई की जावे। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा.पत्र वास्ते पत्रावली तलब की जाकर सुनवाई करने बाबत स्वीकार होने से पत्रावली आज पेश हुई वकील

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

फर्द—अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला—अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या— 47/2025

....बनाम...

अन्तर्गत धारा:—..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
Sd/- withdraw by me	वादी द्वारा, वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते वाद पत्र विड्रो करने बाबत पेश किया गया। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि, प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादीगणों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः ग्राम पंचायत का कार्य बाधित ~~नहीं~~ नहीं है। इसलिये वादी प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप किया जावें। लोक अदालत की भावना से वादी इस प्रकरण को विड्रो करते है। वकील वादी द्वारा प्रकरण मे विड्रो ~~का~~ आवेदन पत्र पेश कर, प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते हुये, कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप करना चाहते है। अतः प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वकील वादी का वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते वाद पत्र विड्रो तथा मौखिक निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर ~~दाखिल~~ दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)